



जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) डुमराँव, बक्सर  
***District Institute of Edn.& Training, (DIET) Dumraon, Buxar***

मेधा सूची में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नामांकन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनका नामांकन नहीं होगा :-

1. ऑनलाइन आवेदन की प्रति
2. आनलाइन आवेदन शुल्क जमा रसीद की मूल प्रति
3. Demand Draft 11,500/- (GEN, EWS, BC, EBC)  
7,000/- (SC, ST, HANDICAPPED)

In Favour of **PRINCIPAL DIET DUMRAON**

**Payable at Dumraon**

4. मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
5. इन्टरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र (मूल प्रति)
6. स्नातक / परास्नातक के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र (मूल प्रति)  
(यदि अभ्यर्थी द्वारा इसका उल्लेख आवेदन में किया गया हो)
7. अंतिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (CLC) एवं प्रवजन प्रमाण पत्र (दूसरे राज्य से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए)
8. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र
9. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (यदि अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग हेतु आवेदन किया गया हो )
10. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए)
11. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा
12. प्रशिक्षण के दौरान वर्ग कक्ष में 85% उपस्थिति हेतु स्व घोषणा पत्र निर्गत प्रमाण पत्र।
13. आधार कार्ड की छायाप्रति
14. 4 (चार) पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ (अद्यतन)

नोट :-

(i) कंडिका 4 (चार) से 11 (ग्यारह) के सभी दस्तावेज 3 (तीन) स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ समस्त दस्तावेजों को कभर फाइल में एक साथ क्रमवार प्रस्तुत करना होगा)

(ii) अन्तर्राज्यीय संस्थान से उत्तीर्ण होने की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (CLC) को सक्षम पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।

(iii) नामांकन के पश्चात् मैट्रिक एवं इन्टरमीडिएट के मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र को जमा करा लिया जाएगा, जिसे संबंधित बोर्ड से सत्यापनोपरांत ही वापस किया जाएगा।

(iv) अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन के समय प्रस्तुत किये गये समस्त सूचना एवं अभिलेख के सत्य एवं वैध होने का स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा, यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी प्रकार की भिन्नता एवं त्रुटि पायी जाती है, उस स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा एवं उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।